

उपयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य),
मुख्यालय, जयपुर, समन्वयक।

विषय:-एस.बी.सि. अवमानना याचिका संख्या 1500/12 अन्तर्गत एस.बी.सि. रिट याचिका संख्या 14302/08 डॉ० कन्हैया लाल (एडहॉक एम0ओ0) बनाम श्री दीपक उम्रेति, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर व अन्य।

अपरिभाषित विषयान्तर्गत उक्त अवमानना प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से आपको समन्वयक एतद् द्वारा सूचित किया जाता है। अतः आप इस प्रकरण के लिए श्री संजय कुमार शर्मा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से सम्पर्क कर अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करावें जिससे इस प्रकरण का निस्तारण हो सके।

प्रकरण में पारित निर्णय की पूर्ण पालना सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7()/निचिस्वा/विधि/10/513 दिनांक 24.02.10 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि पारित निर्णय की पालना संबंधी दायित्व का निर्वहन करते हुये प्रकरण में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय-समय पर अवगत कराते रहे।

संलग्न-प्रकरण में पूर्व में दिये गये पत्र की प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: 17(533)/निचिस्वा/विधि/अव./2014/139

दिनांक:- 27-02/15

प्रतिनिधि निर्णय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संलग्न निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि समन्वयक को आवश्यक जवाब हेतु तत्थात्मक स्थिति से अवगत करावें। साथ ही निर्णय की नियमानुसार पालना/अपील/नो अपील की कार्यवाही करना सुनिश्चित कराने का श्रम करें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट्स की वेबसाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करें।
3. श्री संजय कुमार शर्मा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. डॉ० विमल अस्तिन्ट, उच्च न्यायालय जयपुर सीट, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में पारित निर्णय के संबंध में अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी सॉफ्टवेयर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने वाला।
6. जयपुर एस्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
7. अधिकारी पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर